


तारिख हुक्म	<p style="text-align: center;"><b>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</b>  <b>स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या: 60/2024</b></p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलने जारी हुए</p>
29.11.2024	<p>पत्रावली मूल अपील के साथ साथ पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 पर बहस सुनी गई। प्रार्थी के वकील ने उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए स्थगन आदेश जारी करने का अनुरोध किया। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान अनुरोध किया कि प्रार्थी ने गोचर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया है, जिससे प्रार्थी को बेदखल किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।</p> <p>प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रार्थी द्वारा गोचर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण करने से अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्दी द्वारा प्रार्थी को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व जुर्माना आरोपित करने के आदेश पारित किये गये हैं। चूंकि प्रार्थी ने गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया है। ऐसी स्थिति में, प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।</p> <p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थी सारहीन होने व साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज सर-ए-इजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">   <b>(डॉ. दिनेश राय सापेला)</b>  <b>अति. जिला कलक्टर</b>  <b>सिरोही (राज.)</b> </p>	